



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2013/अग्रहायण 19, 1935

No. 320]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2013/AGRAHAYANA 19, 1935

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2013

सं. पी.एस.बी./पी.ई.एन./अमेंड/1/2013.—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 का अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग में पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल नभारतीय रिजर्व बैंक का साथ परामर्श का बाद कन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी का साथ पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में आगसंशोधन करणका लिया निम्नलिखित विनियमावली बनाई है, यथा :—

- (1) यविनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमन, 2013 कहा जायेंगा।
(2) सरकारी राजपत्र में इनका प्रकाशन की तिथि सही यह प्रभाव में आयेंगे।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन अधिनियम, 1995 का अधिनियम 50 का उप-अधिनियम (1) का तहत “दो वर्ष” शब्द का एवज में “एक वर्ष” लिया जाय।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन अधिनियम, 1995 का अधिनियम 50 का उप-अधिनियम (6) का तहत “दो वर्ष” का एवज में “एक वर्ष” लिया जाय।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पी. एस. सोदी, उप-महाप्रबंधक (मानव-संसाधन विकास)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/134/13]

पाद टिप्पणः—मूल विनियमन भारत का राजपत्र में दिनांक 29.09.1995 को प्रकाशित किया गया तथा उसका पश्चात् किया गया संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्या में निम्नानुसार भारत का राजपत्र में प्रकाशित किए गएः—

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	1/1999	09.09.1999
2	1/2002	22.04.2002

(1)	(2)	(3)
3	6/2002	05.12.2002
4	1/2004	05.08.2004
5	1/2010	28.07.2010

PUNJAB AND SIND BANK

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2013

No. PSB/PEN/AMEND/1/2013.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of Punjab and Sind Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These regulations may be called Punjab & Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-regulation (1) of regulation 50 of the Punjab & Sind Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

3. In regulation 50 of the Punjab & Sind Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, in sub-regulation (6), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

For Punjab & Sind Bank,
P. S. SODHI, Dy. General Manager (HRD)
[ADVT-III/4/Exty./134/13]

Footnote:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29-09-1995 and subsequent amendments were published in the Gazette of India as under :—

S. No.	Notification No.	Dated
(1)	(2)	(3)
1	1/1999	09-09-1999
2	1/2002	22-04-2002
3	6/2002	05-12-2002
4	1/2004	05-08-2004
5	1/2010	28-07-2010